भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं. 51/8/ईवीएम-सी/2017/ईएमएस **दिनांक: 27 मई**, 2017

सेवा में

प्रभारी, संचार विभाग,
आल इंडिया कांग्रेस कमेटी
24, अकबर रोड़, नई दिल्ली-**110011**

विषय**:** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ईवीएम-चुनौती – तत्संबंधी।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग द्वारा दिनांक **26** मई, 2017 के पत्र सं**.** शून्य पर विधिवत विचार कर लिया गया है। यह बताया जाता है कि उक्त पत्र में दिए गए तर्कों के बारे में दिनांक **12** मई, 2017 को आयोजित हुई समस्त राजनैतिक दलों की बैठक में पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया गया है। उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों को विस्तार में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है**:-**

1. आयोग ने विनिर्दिष्ट किया है कि ईवीएम चुनौती मौजूदा प्रशासनिक रक्षोपायों और ऐसे सुरक्षा प्रोटोकॉल, जिनका ईवीएम को लगाते समय प्रारंभिक स्तर पर फील्ड में कड़ाई से अनुपालन किया जाता है, की संरचना के भीतर आयोजित की जाएगी। मतदान से पहले, मतदान के दौरान अथवा मतदान के पश्चात् किसी भी चरण पर ईवीएम तक किसी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच नहीं होती है, और अत**:** ईवीएम से छेड़छाड़ करने हेतु सभी अवयवों यथा मदरबोर्ड तक पहुंचने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम स्तरीय जांच **(**एफएलसी**)** के दौरान भी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की दृश्यात्मक जांच की अनुमति होती है, इसके पश्चात् मशीनों को सील कर दिया जाता है तथा इन्हें चौबीसों घंटे सशस्त्र सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाता है। चुनौती के अंतर्गत चुनौतीदाता को ईवीएम को हैंडल करने और मशीनों से छेड़-छाड़ का प्रयास करने के लिए चाहे कितने भी संयोजनों में सीयू और बीयू के जितने चाहे उतने बटनों को दबाने का तथा ब्लूटूथ/वॉयरलेस का प्रयोग करने के व्यापक मौके दिए गए हैं।
2. इसके अतिरिक्त, पार्टी की मदरबोर्ड आदि के प्रति अभिगम्यता की मांग का नि राकरण आयोग के दिनांक **20.05.2017** के प्रेस नोट में कर दिया गया है, (पृष्ठ **19** का पैरा **10)** जिसे नीचे उद्धृत किया गया है**:-**
"कतिपय ना कहने वाले व्यक्तियों ने मांग की है कि भारत निर्वाचन आयोग को या तो ईवीएम में छेड़छाड़ करने के लिए उन्हें मशीन अपने साथ ले जाने अथवा उसका आंतरिक सर्किट आदि बदलने की अनुमति देनी चाहिए। यह कहना वैसा ही है जैसे कि उन्हें एक नई मशीने बनाने की अनुमति दे दी जाए और वे हमारे सिस्टम में अपनी नई ईवीएम का सिस्टम सेट कर दें। इसके अतिरिक्त, **यह सामान्य ज्ञान है कि किसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के "इंटरनल सर्किट में परिवर्तन करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा पूरी डिवाइस में परिवर्तन करना"** इसके पश्चात यह डिवाइस मूल डिवाइस जैसी कैसे रह सकती है। एक सामान्य व्यक्ति भी यह समझता है कि एक ईसीआई की ईवीएम से भिन्न अथवा ऐसी ईवीएम जिसका इंटरनल सर्किट भिन्न है, वह निश्चित रूप से एक भिन्न मशीन होगी अथवा भारत निर्वाचन आयोग की ईवीएम जैसी दिखने वाली नजर आएगी, इसलिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह गारंटी कभी नहीं दी जा सकती कि यह सटीक परिणाम देगी। हमारे प्रशासनिक सुरक्षा उपायों के अंतर्गत ऐसे परिदृश्य से पूरी तरह से इंकार किया जाता है और इस कारण से चुनौती में इसका प्रस्ताव नहीं किया गया।"

3. ऊपर संदर्भित पत्र में, भिण्ड, धौलपुर/राजस्थान में और उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड की कतिपय विधान सभाओं के निर्वाचनों में हाल ही में व्यक्त संदेहों के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई है। वास्तविकता यह है कि पत्र में वर्णित सभी घटनाएं तथ्यात्मक रूप से असत्य, भ्रामक एंव किसी भी सच्चाई से दूर पाई गई हैं और जैसाकि आयोग द्वारा इनके लिए पहले ही स्पष्टीकरण दिया जा चुका है, यह आश्चर्यजनक है कि सुस्पष्ट प्रमाण एवं विपरीत तथ्यों के बावजूद सच्चाई को नजरअंदाज किया जा रहा है तथा इन घटनाओं के बारे में अभी भी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। सही तथ्य निम्न प्रकार से हैं:-

() जहां तक भिण्ड जिले के अटेर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का संबंध है, यह बताया जाता है कि अटेर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए 9 अप्रैल, 2017 को उप-निर्वाचन आयोजित किया जाना था। 31 मार्च, 2017 को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश ने भिण्ड जिले के अटेर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन हेतु मतदान की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया था। समीक्षा बैठक की समाप्ति के पश्चात्, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश ने वहां उपस्थित मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की और उन्होंने समिति कक्ष के समीप रखी हुई वीवीपीएटी युक्त ईवीएम के प्रदर्शन में भी भाग लिया। वीवीपीएटी युक्त ईवीएम के प्रदर्शन के बाद मीटिंग हॉल में मौजूद मीडिया कर्मियों और अधिकारियों ने कतिपय मुद्दे उठाए। आयोग ने भी 31 मार्च, 2017 को भिण्ड में (मतदान दिवस के दौरान नहीं) ईवीएम-वीवीपीएटी के प्रदर्शन के दौरान उठाए गए मुद्दों के बारे में एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट में यह सुस्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि सभी आरोप पूरी तरह अप्रमाणित और निराधार थे। श्री भंवर लाल, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आंध्र प्रदेश की अगुआई वाले विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया था कि 31 मार्च, 2017 को अटेर (भिण्ड) में किए गए ईवीएम प्रदर्शन के दौरान प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपीएटी में **कोई असंगति अथवा हेरफेर (छेड़-छाड़) नहीं** पाया गया। 31 मार्च, 2017 को बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी की तकनीकी जांच, प्रदर्शन के दौरान उपस्थिति अधिकारियों की मौखिक जांच, कंट्रोल यूनिट से प्राप्त डाटा से यह बात निर्णायक रूप से सिद्ध होती है कि बैलेट यूनिट के 4 बटन निम्नलिखित क्रम में दबाए गए थे:-

बटन न.	प्रतीक	अभ्यर्थी का नाम
03	हैण्ड पंप	राजू पाल
04	कमल	सत्यदेव पचौरी
03	हैण्ड पंप	राजू पाल
01	हाथ	अम्बुज शुक्ला

अत:, यह स्पष्ट है कि 31 मार्च, 2017 को आयोजित प्रदर्शन के दौरान ईवीएम पर चार बटन दबाने पर तद्नुरूपी सही प्रतीक प्रदर्शित हुए थे और न कि केवल किसी एक विशिष्ट दल का। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर से केवल रिजर्व वीवीपीएटी, जो निर्वाचन याचिका का भाग नहीं थे, लाए गए थे, जो अन्यत्र आयोजित किए जा रहे अन्य सभी उप-निर्वाचनों के लिए अनुप्रयोज्य था। उत्तर प्रदेश से कोई ईवीएम नहीं लाई गई थी।

दरअसल, 31 मार्च, 2017 को सक्षम अधिकारियों द्वारा ईवीएम के छदम प्रदर्शन के दौरान विहित प्रोटोकॉल एवं अनुदेशों का पालन न करने से यह भ्रांति उत्पन्न हुई थी, जिस कारण उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गोविन्दनगर निर्वाचन-क्षेत्र की वीवीपीएटी में पहले से अंकित प्रतीक और नामों के डाटा को नही मिटाया गया था। किन्तु, यह आरोप सरासर एवं पूरी तरह असत्य, और आधारहीन पाया गया कि प्रत्येक बटन दबाने से केवल एक ही प्रतीक प्रदर्शित होता है। फिर भी, आयोग ने प्रक्रियात्मक गलतियों और विद्यमान अनुदेशों का पालन न करने को गंभीरता से लिया और इन गलतियों के लिए

जिला स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध तुरंत कार्रवाई शुरु की। इस संबंध में आयोग पार्टी से आग्रह करता है कि वह उपर्युक्त घटना के सही तथ्यों पर ध्यान दे।

() धौलुपर घटना 9 अप्रैल, 2017 को राजस्थान में धौलपुर उप-निर्वाचन में हेर-फेर किए गए और कुसंक्रियात्मक 18 ईवीएम के बारे में तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक समाचार रिपोर्टों से संबंधित है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि एक पार्टी को डाले गए मत किसी अन्य पार्टी को दर्ज हो रहे थे। इस संबंध में, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी और उन्होंने पुष्टि की है कि निर्वाचन के दौरान प्रयुक्त 231 ईवीएमों में से केवल 2 ईवीएम खराब पाई गई थी और उन्हें बदल दिया गया था। प्रत्येक मतदान में 1-2% ईवीएम खराब या अप्रयोज्य हो जाना सामान्य बात है, जिन्हें सदैव बदल/हटा दिया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी सूचित किया है कि संपूर्ण मतदान अवधि के दौरान कहीं से, किसी मतदाता अथवा अभ्यर्थी/राजनैतिक दल से मतदान में कुमेलन की कोई भी शिकायत अथवा रिपोर्ट नहीं मिली है।

() हाल ही में सम्पन्न उत्तर प्रदेश और उतराखण्ड के साधारण निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कथित रूप से हेर-फेर करने के सम्बन्ध में आयोग को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। संबंधित शिकायतकर्ताओं से कहा गया था कि यदि उनके पास कोई विश्वसनीय सूचना अथवा साक्ष्य है तो उसे प्रस्तुत करें। किन्तु, आयोग को अभी तक कोई भी साक्ष्य अथवा विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, पार्टी के पास यदि कोई ऐसा डाटा अथवा साक्ष्य हो जिससे यह संकेत मिलता हो कि हाल ही में सम्पन्न 2017 के राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में लगाई गई इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों में, पक्षपातपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए, पहले ही हेर-फेर कर दिया गया था, तो वह उसे प्रस्तुत करे। आयोग ने ईवीएम चुनौती के द्वारा राजनैतिक दलों को यह मौका भी दिया था कि वे परिणामों का सत्यापन करने के लिए उन मतदान केन्द्रों की ईवीएम चुन सकते हैं तथा चुनौती के निर्धारित समय के दौरान हेर-फेर का प्रदर्शन करें।

4. आयोग ने सभी राजनैतिक दलों की 12 मई, 2017 को आयोजित हुई बैठक में घोषणा की थी कि निर्वाचन प्रक्रिया में और अधिक पारदशिता एवं मतदाता सत्यापनीयता लाने के लिए देश की संसद और राज्य विधान सभा के सभी भावी निर्वाचनों में समस्त मतदान केन्द्रों पर 100% वीवीपीएटी प्रणाली अपनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया जाता है कि वीवीपीएटी के पुनर्गणना नियमों में संशोधन किया जाना भी आयोग के विचाराधीन है। वीवीपीएटी का 100% प्रयोग होने से ईवीएमों की अविकलता के बारे में व्यक्त सभी संदेहों और भ्रांतियों पर निर्णायक रूप में विराम लग जाना चाहिए।

आशा है कि उपर्युक्त प्रत्युत्तर से विचाराधीन पत्र में उठाए गए सभी मुद्दे स्पष्ट हो गए होंगे और उनका निराकरण हो गया होगा।

भवदीय,

ह०/-
(मधुसूदन गुप्ता)
अवर सचिव

B